

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

## संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक—51 (एक—दो—01)07

सागर, दिनांक 25.04.2025

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 45 / (एक—दो—01)07 दिनांक 15.04.2025 एवं प्रभार आदेश क्रमांक 46 / (एक—दो—01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी आदेशों को अधिभावी रूप से अधिष्ठित करते हुये निम्न आंशिक संशोधन करता हूँ।

| क | न्यायालय का नाम व स्थान (02)                                                                                    | क्षेत्राधिकार (03) | प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर (श्री महेश कुमार शर्मा)                 | सत्र खण्ड सागर     | 1. पुलिस आरक्षी केन्द्र केन्टोन्मेंट, मकरोनिया, बहेरिया एवं सानौधा के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर (सुश्री समीक्षा सिंह) | जिला मुख्यालय सागर | <p><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2- जिला मुख्यालय से उद्भूत होने वाले रेप, गैंग रेप, रेप विद मर्डर एवं उससे संबंधित अन्य प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां</p> <p><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p> <p>3. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 5,00,00,001 /— अंकन पांच करोड़ एक रुपये से 50,00,0,000 /— रुपये पचास करोड़ रुपये मूल्य के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>4. पुलिस आरक्षी केन्द्र राहतगढ़, कोतवाली एवं जीआरपी सागर के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>5. न्यायालय चतुर्थ, सप्तम व अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर एवं सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर तथा श्रृंखला न्यायालय राहतगढ़ के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण</p> <p>6. म0प्र0पब्लिक ट्रस्ट एक्ट से संबंधित रुपये 1,00,000,00 /— अंकन एक करोड़ से अधिक के प्रकरण</p> |

|   |                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                 |                                | <p>7. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/- अंकन पांच सौ रुपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो।</p> <p>8. अन्य जिला स्थापनाओं से प्राप्त होने वाले निष्पादन प्रकरण जो कि जिला मुख्यालय सागर के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, स्वतः न्यायालय में संस्थित माने जावेंगे।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवरी (श्री महेश कुमार झा) | तहसील देवरी एवं केसली          | <p>1. तहसील क्षेत्र देवरी से संबंधित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के सुनवायी योग्य समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।</p> <p>2. पूर्व पदस्थ समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी (रिक्त न्यायालय) के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियों से संबंधित समस्त कार्य।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर (श्री विनय सिंह राजपूत)                                                | जिला मुख्यालय सागर             | <p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p> <p>2. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।</p> <p>3. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।</p> <p>4. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण</p> <p>5. माह जनवरी-फरवरी-मार्च 2026 में प्रस्तुत होने वाले रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (उक्त क्षेत्राधिकार की अवधि के संबंध में अन्य कार्यविभाजन आदेश जारी न होने की दशा में उक्त क्षेत्राधिकार आगामी अवधि के लिए इसी न्यायालय को निरंतर जारी रहेगा।)</p> |
| 5 | दशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर (श्री हिमांशु पालीवाल)                                                   | जिला मुख्यालय सागर एवं राहतगढ़ | <p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p> <p>2. तहसील क्षेत्र राहतगढ़ से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- अंकन एक रुपये से 5,00,00/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।</p> <p>3. तहसील राहतगढ़ से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुनर्स्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ एवं वाद पत्र।</p> <p>4. श्रृंखला न्यायालय राहतगढ़ से संबंधित समस्त प्रकार</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | के प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य हों व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों। |
|  |  | 5. श्रृंखला न्यायालय राहतगढ़ द्वारा पूर्व निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां     |

प्रभार आदेश:-

| क्र. | न्यायालय का नाम                                                   | अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड श्रृंखला न्यायालय राहतगढ़ जिला सागर | प्रथम प्रभार-दशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ सागर<br>द्वितीय प्रभार-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ सागर<br>तृतीय प्रभार-चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ सागर<br>तत्पश्चात् जिला मुख्यालय सागर में उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ सागर। |

नोट:- उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष कार्यविभाजन/प्रभार आदेश यथावत रहेगा।

(महेश कुमार शर्मा)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
सागर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक (एक-दो-01)07  
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 25.04.2025

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना सागर।
2. केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग, जिला न्यायालय सागर।
3. पंजीयन अनुभाग, देवरी।
4. प्रस्तुतकार/निष्पादन लिपिक प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर।
5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर/देवरी  
की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
सागर (म.प्र.)